# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्याः टी.ए. 03/2017**

**पंजीयन दिनांकः 12.01.2017**

कैलाश चन्द पिता प्रभुलाल जाति सोनी निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

**-अपीलान्ट**

**बनाम**

1. लादुलाल पिता नानुराम जाति गर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. राधेश्याम पिता नानुराम जाति गर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. सोहनबाई विधवा नानुराम जाति गर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. लाली पुत्री नानुराम पत्नि प्रकाशचन्द जाति गर्ग निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. सोनु पुत्री नानुराम पत्नि कमलेश जाति गर्ग निवासी शम्भुपुरा हाल काकंरवा तहसील भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

**-रेस्पोडन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन प्रकरण संख्या 129/2015 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.06.16

**उपस्थित वक्त बहस**

1. ललित झंवर- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. बालेन्द्र कोठारी -अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण-1 से 5

**निर्णय** **दिनांक 22.09.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपलीान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा शम्भुपुरा तहसील कपासन मे कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 418 रकबा 0.13 हैक्टेयर स्थित है जो रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा मे आम सड़क दक्षिण दिशा मे अपीलान्ट विपक्षी के हाल मे ही जाटो से जमीन क्रय की है और वह जबरन रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजीयात पर कब्जा करने को व अतिक्रमण करने की धमकी देता है। हाल मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात पर उसने पत्थर का एक

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिप डाल दिया व मना करने पर विवाद करने लगा। जिससे अपीलान्ट विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्ट विपक्षी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब हेतु अवसर चाहा व पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र मे नियत होते हुए दिनांक 08.06.2016 को राजस्व कैम्प रूपाखेडी प्रस्तुत हुई। उक्त पत्रावली का अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया जिसमे यह पाया गया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी की है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्ट प्रार्थी का किसी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार नही है। फिर भी अपीलान्ट विपक्षी ने उक्त कृषि आराजीयात के दक्षिण दिशा मे जाटो की जमीन क्रय की जिसका सहारा लेकर अनाधिकृत कब्जा करना चाह रहा है जिससे लोक अदालत की भावना से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलान्ट विपक्षी की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट की ओर से अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट विपक्षी ने अपनी बहस मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत थी। फिर भी उक्त पत्रावली को बिना सूचना दिये लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की ओर से आराजी नम्बर 418 जिसका रकबा 0.13 हैक्टेयर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात के दक्षिण मे अपीलान्ट विपक्षी ने जाटो की कृषि आराजीयात क्रय की जिसकी आड मे अपीलान्ट विपक्षी रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लगा तो रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन था। उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत मे नियत किया जाकर उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी की होने से रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत आदेश है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार व कब्जेदार है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात मे अपीलान्ट विपक्षी को मदाखलत करने का किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार नही है। फिर भी अपीलान्ट विपक्षी ने उक्त आराजीयात के दक्षिण दिशा मे किसी अन्य खातेदार की आराजीयात को क्रय की जिसकी आड मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से पत्थर डाल कर कब्जा करने का प्रयास किया। जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अपीलान्ट विपक्षी की तामील होकर जवाब हेतु नियत थी। फिर भी विपक्षी अपीलान्ट ने अपनी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। उक्त पत्रावली को लोक अदालत मे नियत की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिसम्मत होने से अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विपक्षी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन प्रकरण संख्या 129/2015 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 08.06.2016 यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़